ॐ साईं राम

4762

SHCIL Aligarh — Stock Holding Corporation of India Limited

# INDIA NON JUDICIAL

# Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp

सत्यमेव जयते

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP04484790585576Q |
| Certificate Issued Date | : | 03-May-2018 03:32 PM |
| Account Reference | : | SHCIL (FI)/ upshcil01/ ALIGARH/ UP-ALG |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUPSHCIL01053815564070420 |
| Purchased by | : | MS BUOYANT BUILDTECH P LTD THRU DIR RAJESH K SINGH |
| Description of Document | : | Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement |
| Property Description | : | KISHANPUR PARGANA AND TEHSIL KOIL,DISTRICT ALIGARH |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | RAY SINGH SON OF SHRI BHAVARPAL SINGH ETC |
| Second Party | : | MS BUOYANT BUILDTECH P LTD THRU DIR RAJESH K SINGH |
| Stamp Duty Paid By | : | MS BUOYANT BUILDTECH P LTD THRU DIR RAJESH K SINGH |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 40,89,000 (Forty Lakh Eighty Nine Thousand only) |

Please write or type below this line

0005159553

Statutory Alert:
The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and [illegible] website renders it invalid. [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

AVDHESH SINGH
CHAUHAN DEED WRITER
TEHSIL KOIL, ALIGARH

AVDHESH SINGH
CHAUHAN DEED WRITER
TEHSIL KOIL, ALIGARH

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 2?7601

2

AVDHESH
CHAUHAN DEED WRITER
TEHSIL KOIL, ALIGARH

ATTESTED

क्षेत्राधिकार–उपनिबंधक–।

बिल्डर्स एग्रीमेन्ट

भूखण्ड क्षेत्रफल– 3894.05 वर्ग मीटर

स्थित किशनपुर परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़।

निर्धारित सर्किल दर – 15,000/–रू0प्र0व0मी0

पेज नबंर–41 कोड नबंर–0588 कालम–

सरकारी मालियत – 5,84,11,000/–रूपया

अदा स्टाम्प – 40,90,130/–रूपया जिसमें 4,89,000/– रूपया का ई0 स्टाम्प नबंर– IN-UP04434750585576Q दिनांक 03.05.2018 तथा 1130/–रूपया का जनरल स्टाम्प अदा किया है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

AVDHESH SINGH
CHAUHAN DEED WRITER
TEHSIL KOIL, ALIGARH

AVDHESH SINGH
CHAUHAN DEED WRITER
TEHSIL KOIL, ALIGARH

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

41AD 936186

प्रश्नगत भूखण्ड आवासीय है, जिसमें कोई निर्माण व पेड़ व कुऑ आदि किसी प्रकार क नही है तथा ग्राम समाज व नजूल व अन्य किसी सरकारी संस्था की सम्पत्ति नही है। जो अलीगढ़ बस स्टेण्ड से करीब 04 किमी0 दूर है। रामघाट रोड.से करीब 800 मी0 दूर उक्त भूखण्ड पर एक रास्ता, जो 40 फीट चौडा है। जिसके रास्ता पर 25 मी0 तक कोई व्यवसायिक गतिविधि नही है।

# भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

[redacted]

CHAUHAN DEE... [redacted] ...CHESH SING... [redacted] ...SH SINGH ...CHAUHAN DEED WRITER CHAUHAN DEE...

TEHSIL KOIL, ALIGARH TEHSIL KOIL, ALIGARH TEHSIL KOIL, ALIGARH

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

41AD 936187

हम कि भागीदार नबंर 1 श्री राय सिंह व भागीदार नबंर 2 श्रीपाल सिंह पुत्रगण श्री भंवरपाल सिंह व भागीदार नबंर 3 श्रीमती चन्दा पत्नी रिसाल सिंह व गिरीशपाल सिंह व रिषीपाल सिंह व सत्यपाल सिंह पुत्रगण स्व0 रिसाल सिंह व भागीदार नबंर 4 श्रीमती चन्द्रवती उर्फ चन्दा पत्नी कल्यान सिंह व धीरज यादव व महेश यादव व जयपाल सिंह व पुष्पेन्द्र यादव पुत्रगण स्व0 कल्यान सिंह व भागीदार नबंर 5 श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री नाहर सिंह व कुलदीप सिंह व प्रदीव यादव व संदीप यादव पुत्रगण श्री नाहर सिंह निवासी नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ ———प्रथम पक्ष /भूमि स्वामी.

| | | |
|---|---|---|
| मो0नं0– 9058874877 | आधार नं0–377409797949 | |
| मो0नं0– 9059956738 | आधार नं0–777666595049 | पैन नं0 AMNPY8298B |
| मो0नं0– 9045632945 | आधार नं0–538188665849 | पैन नं0 CTQPS7964E |
| मो0नं0– 9045632945 | आधार नं0–668593921324 | पैन नं0 N-102479700383756 |
| मो0नं0– 9045632945 | आधार नं0–874355266410 | पैन नं0 BAKPP3065M |
| मो0नं0– 9045632945 | आधार नं0–854246844350 | पैन नं0 COCPR9711R |
| मो0नं0– 8650200042 | आधार नं0–532621265267 | पैन नं0 CRMPS3646P |
| मो0नं0– 8650200042 | आधार नं0–680826825671 | पैन नं0 BENPD8333D |
| मो0नं0– 8650200042 | आधार नं0–357912368007 | पैन नं0 HUPPS0779L |
| मो0नं0– 8650200042 | आधार नं0–744585314731 | पैन नं0 ACUPY5535G |
| मो0नं0– 8650200042 | आधार नं0–241471436855 | पैन नं0 APSPJ3557J |
| | | पैन नं0 BTKPK5465M |

जयपाल

सत्यपाल सिंह

# भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु

TEN RUPEES

Rs.10

ATTESTED

सत्यमेव जयते

INDIA

I[illegible]ON JUDICIAL

TEHSIL KOIL, ALIGARH

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

41AD 936188

मो0नं0–9058099386 आधार नं0–247531723473 पैन नं0 DPDPD8720M

मो0नं0–9058099386 आधार नं0–510608873210 पैन नं0 BLEPK5493F

मो0नं0–9058099386 आधार नं0–953709033221 पैन नं0 N-2269397000662703

मो0नं0–8273323321 आधार नं0–770114565792 पैन नं0 AQEPY4880K

एवम्

मैसर्स बोयन्त बुल्डटैक प्रा0लि0 कार्यालय 214 अलिग कार्पोरेट प्लाजा मैरिस रोड शहर अलीगढ़ डायरेक्टर राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री बंगाली सिंह निवासी ग्राम लाडपुर पो0 खास जिला हाथरस

फर्म पेन नबंर–AAGCB9612C मो0नं0–9927730300

आधार नबंर– 792058508623 ––द्वितीय पक्ष बिल्डर के है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

41AC 936189

जो कि आराजी भूमि रकबा **4657** वर्ग गज यानि **3894.05** वर्ग मीटर जुज खेत संख्या 287/2 388/2, 390 में से है स्थित **किशनपुर** परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ के प्रथम पक्ष मालिक व काबिज एवं सर्वाधिकारी द्वारा दर्ज खतौनी है।उपरोक्त भूखण्ड आज की तारीख तक हर प्रकार के भार बंधन व हस्तातंरण आदि से पाक साफ है तथा उसके हस्तातंरण आदि करने के समस्त अधिकार प्रथम पक्ष को हासिल है। इसमें प्रथम पक्ष का कोई भी राज्य नियम व साझी संबंधी किसी भी रूप में बाधक नही है तथा हर प्रकार के भार आदि से पाक साफ है तथा नगर निगम अलीगढ के सरकारी कागजातों में प्रथम पक्ष का नाम बतौर मालिकान दर्ज व अंकित चला आ रहा है उपरोक्त भूमि पर एक आवासीय बहुमंजिला काम्पलेक्स तामीर कराने हेतु द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से संपर्क किया जिसे प्रथम पक्ष ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और प्रथम पक्ष ने अपनी पूजी निवेश हेतु उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष को दिया जिसमें दोनो पक्षों का लाभ निहित है तथा द्वितीय पक्ष ने अपने लक्ष्य से प्रथम पक्ष को अवगत कराया तथा लक्ष्य से सहमत होकर द्वितीय पक्ष भी पूँजी निवेश के लिये इच्छुक है अतः उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उभय पक्ष निम्न लिखित शर्तो व प्रतिबंधो के अधीन उक्त भूमि पर आवासीय फ्लैट निर्माण कर विक्रय करेगे:–

गिरीश

जयपाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



41AD 936190

1:– यह कि प्रथम पक्ष पूँजी निवेश हेतु अपने उक्त भूखण्ड को प्रयोग में लायेगे तथा द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर फ्लैट निर्माण स्वंय अपनी पूजी से निर्मित करायेगे।

2:– यह कि उक्त प्रस्तावित काम्पलेक्स द्वितीय पक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से व अन्य किसी भी संबंधित विभाग से निर्माण हेतु अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने व्यय पर प्राप्त करेगे तथा जहाँ जहाँ प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरो की जरूरत होगी, वहां वहाँ प्रथम पक्ष निःसकोंच हस्ताक्षर करेगे।

3:– यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड के भूतल पर कार पार्किगं का निर्माण करायेगे तथा प्रथम तल से लेकर दस तल तक का निर्माण करायेगे।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 8 41AD 936191

4:– यह कि प्रस्तावित काम्पलेक्स निर्माण के उपरांत उक्त कामपलैक्स में 45 प्रतिशत फ्लैटो के भागीदार व मालिक प्रथम पक्ष भूमि स्वामी होगे जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

| | प्रथमतल | द्वितीयतल | तृतीयतल | चतुर्थतल | पंचम तल | षष्टमतल | सप्तमतल | अष्टमतल | नवम तल | दशमतल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भागीदार–1 | 107 | 206 | 303 | 404 | 509 | 610 | 705 | | 909 | 1002 |
| भागीदार–2 | 103 | 202 | 309 | | 505 | 604 | 701 | 806 | 907 | 1010 |
| भागीदार–3 | 101 | | 307 | 406 | 503 | 602 | 709 | 810 | 905 | 1004 |
| भागीदार–4 | 109 | 210 | 305 | 402 | 501 | 606 | 707 | 804 | 903 | |
| भागीदार–5 | 105 | 204 | 301 | 410 | 507 | | 703 | 802 | 909 | 1006 |

891

विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 4090130 बाजारी मूल्य - 58411000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 20100

श्री राय सिंह ,
पुत्र श्री भंवरपाल सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़

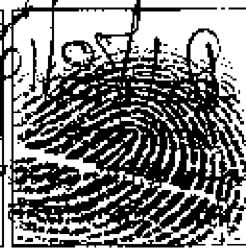

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 04/05/2018 एवं 03:38:48 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजय कुमार दुबे
उप निबंधक :सदर प्रथम
अलीगढ़

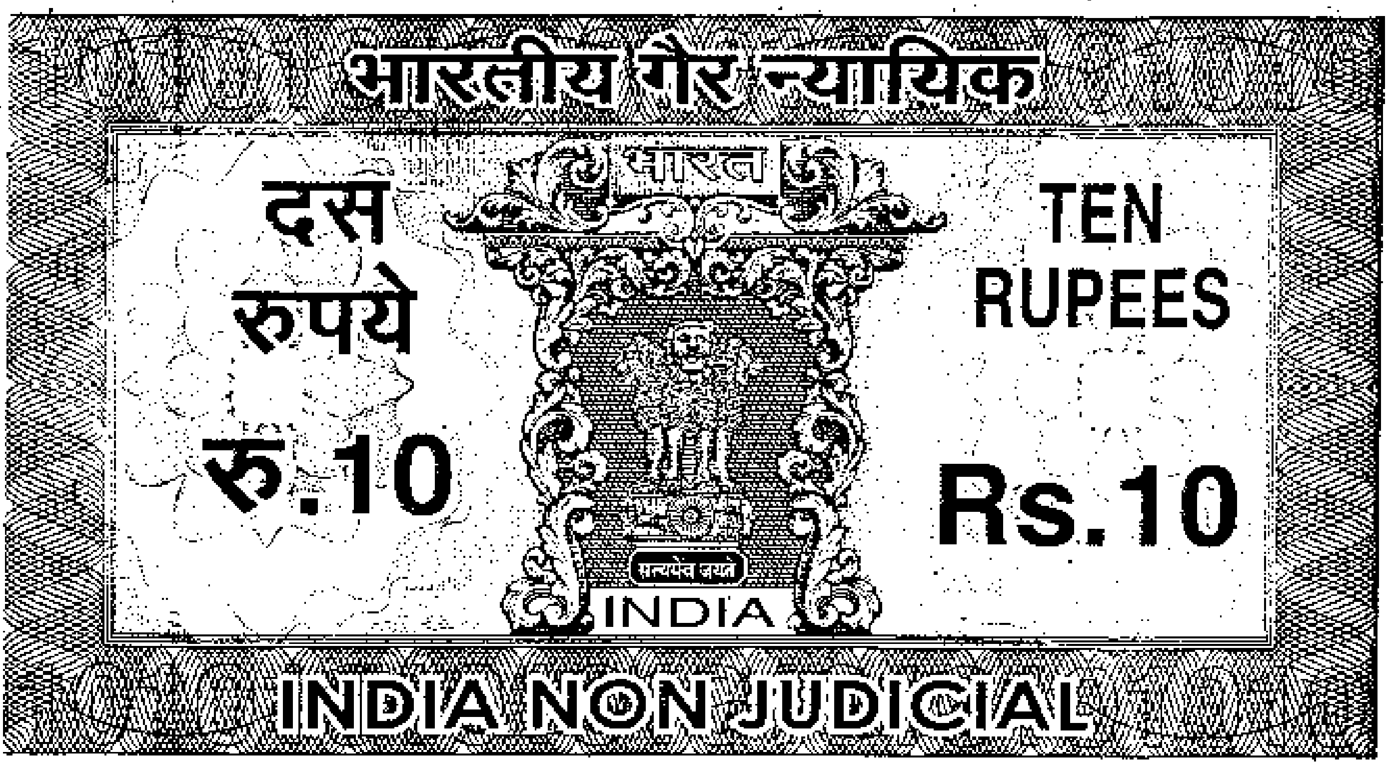


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 9 41AD 936192

उक्त वर्णित समस्त फ्लैट प्रथम पक्ष भूमि स्वामियो के हक व हिस्से में आये है। प्रथम पक्ष को अपने हिस्से में आये फलेटो की बाबत समस्त अधिकार हस्तातंरण व किराये पर उठाने व अपने पास रखने के अधिकार होगे। इसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

5—यह कि उक्त वर्णित फलैटो को छोडकर समस्त शेष 55 प्रतिशत फ्लैटो के भागीदार व मालिक द्वितीय पक्ष होगे। द्वितीय पक्ष को अपने स्वत्व व अधिकार के अन्तर्गत अपने हिस्से में आये फ्लैट की बाबत किसी को भी हस्तातंरण करने व किराये पर उठाने व दखल देने का व स्वंय अपने पास रखने के पूर्ण अधिकार होगे इसमें द्वितीय पक्ष को कोई एतराज नही होगा।

6:— यह कि प्रस्तावित काम्पलेक्स को निर्माण द्वितीय पक्ष अपने देखरेख व नियंत्रण में अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों व इंजीनियरो व ड्राफ्टमेनो व दक्ष श्रमिको व अभिकर्ताओं द्वारा निर्मित करायेगे इस मद में जो भी खर्चा होगा उसे द्वितीय पक्ष स्वंय वहन करेगे और अपने खर्चे से पूर्ण करायेगे।

7:— यह कि सम्पूर्ण काम्पलेक्स में प्रदत्त गैलरीज व झीने तथा भूतल पर प्रदत्त रास्तो को जो फलेट्स निवासियों के प्रयोगार्थ है, को कोई भी पक्ष किसी रूप में बंद अथवा अवरूद्ध नही करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 10 41AD 936193

8:– यह कि काम्पलेक्स निर्माण के पश्चात जिस कदर नगर निगम के टैक्स लागू व देय होगें उनकी अदायगी दोनो पक्ष फलेटस वितरण के अनुपात में निर्विवाद रूप से करेगें।

9:– यह कि काम्पलेक्स के सम्बंध में सरकार की ओर से जो भी नियम व आदेश समय समय पर लागू होगे वह दोनो पक्षो पर तदनुसार पालन योग्य होगें इसमें किसी भी पक्षकार को कोई उज्र व एतराज कभी नही होगा।

10:– यह कि यदि द्वितीय पक्ष ने अपने उक्त पूंजी निवेश धनराशि को सम्पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किसी बैंक या किसी प्राईवेट वित्तीय संस्था से प्राप्त किया होने पर तथा ऋण धनराशि की अदायगी न किये जाने पर बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा वसूलयावी की कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही के लिये केवल द्वितीय पक्ष ही उत्तरदायी होगा। प्रथम पक्ष को किसी भी रूप में किसी ऋण धन अदायगी के लिये संलिप्त नही किया जायेगा। इसी प्रकार यदि प्रथम पक्ष के भूखण्ड में कोई स्वामित्व दोष या वैधानिक दोष पाया जाता है और जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण निर्मित बिल्डिंग प्रभावित होती है तो इस सब दोष एवं कार्यवाहियों के लिये प्रथमपक्ष ही उत्तरदायी होगे।

श्री कुलदीप सिंह, पुत्र श्री नाहर सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 14

श्री प्रदीप यादव, पुत्र श्री नाहर सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 15

श्री संदीप यादव, पुत्र श्री नाहर सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

श्री मैसर्स बोयन्स बुल्डटैक प्रा०लि० द्वारा डाय० राजेश कुमार सिंह, पुत्र श्री बंगाली सिंह

निवासी: लाडपुर पोस्ट खास जिला हाथरस

व्यवसाय: अन्य

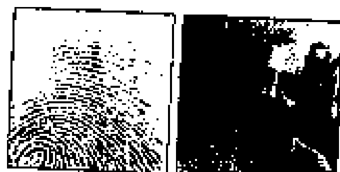

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री योगेश कुमार , पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद

निवासी: लाडपुर पोस्ट खास जिला हाथरस

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री संदीप यादव , पुत्र श्री विक्रम सिंह

निवासी: नगला डालचन्द तह० कोल जिला अलीगढ

व्यवसाय: अन्य

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11 41AD 936194

11:– यह कि यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त फ्लैटो के अलावा भविष्य में भूतल पर अथवा टोप फ्लोर पर कोई नई तामीरात

करात है जैसे गेम्स टेरिस गार्डन, डिपार्टमेंट जिम, स्वीमिंग पुल व बेडमिन्टन कोर्ट आदि सभी सुविधाये सोसायटी के ही हित में होगी, उनसे होने वाली आय को सोसायटी मैन्टीनेन्स आदि के कार्य में उपयोग करेगी। जिसमें प्रथम पक्ष व फर्म द्वितीय पक्ष का कोई हक नही होगा।

12:– यह कि फ्लैटो में स्तेमाल करने के लिये सेनेटरी, टाइल्स व इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि सभी आई.एस.आई. मार्का की होगी।

13:– यह कि प्रथम पक्ष के हिस्से में आये 45 प्रतिशत फ्लैटो पर कब्जा द्वितीय पक्ष द्वारा कराये जाने पर द्वितीय पक्ष फर्म को प्रथम पक्ष भागीदार नबंर 1 से 3 तक अपने हिस्से की बाबत दस दस, दस लाख रूपया वापिस करने के लिये पाबंद होगे तथा भागीदार नबंर 4 व 5 अपने अपने हिस्से के बारह बारह लाख रूपया वापिस करने को पाबंद होगे। प्रथम पक्षकारान पॉच भागीदार हैं।

जयपाल

विक्रेता: 7

श्रीमती चन्द्रवती उर्फ चन्दा, पत्नी श्री कल्यान सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

व्यवसाय: अन्य

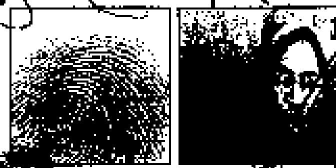

विक्रेता: 8

श्री धीरज यादव, पुत्र श्री स्व० कल्यान सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

व्यवसाय: अन्य

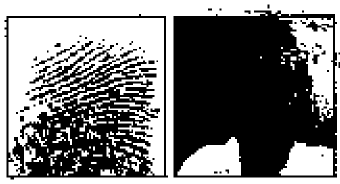

विक्रेता: 9

श्री महेश यादव, पुत्र श्री स्व० कल्यान सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

व्यवसाय: अन्य

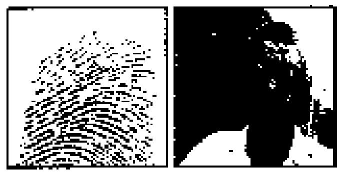

विक्रेता: 10

श्री जयपाल सिंह, पुत्र श्री स्व० कल्यान सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 11

श्री पुष्पेन्द्र यादव, पुत्र श्री स्व० कल्यान सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 12

श्रीमती शान्ती देवी, पत्नी श्री नाहर सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

व्यवसाय: गृहिणी

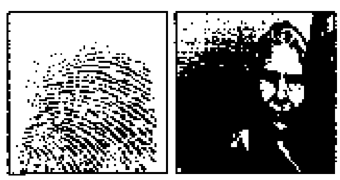

विक्रेता: 13

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 12 41AD 936195

14:— यह कि द्वितीय पक्ष फर्म प्रथम पक्ष के हिस्से के 45 प्रतिशत फ्लेटो का निर्माण का समय बिल्डर एग्रीमेंट पंजीकृत दिनांक से 4 वर्ष होगा। यानी द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष भागीदार नबंर 1 से 3 तक के हिस्से के सभी फ्लैटो का निर्माण 4 वर्ष के अदंर तथा भागीदार नबंर 4 व 5 के हिस्से के सभी फ्लैटो का निर्माण 3 वर्ष के अदंर कर प्रथम पक्ष का कब्जा करायेगे, तथा 4 वर्ष के अदंर 45 प्रतिशत फ्लैटो में से जितने फ्लैटो पर द्वितीय पक्ष कब्जा प्रथम पक्ष को नही दिला पायेगे उस दशा में शेष बचे फ्लेटो पर 6000 /— रूपया प्रति माह प्रति फ्लैट के हिसाब से पैंनल्टी का प्रथम पक्ष को अदा करेगे ब। इसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि र प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री राय सिंह, पुत्र श्री भंवरपाल सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला

अलीगढ़

व्यवसाय: अन्य

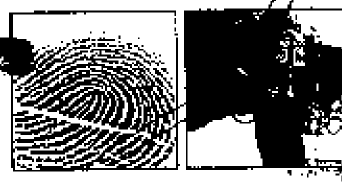

विक्रेता: 2

श्री श्रीपाल सिंह, पुत्र श्री भंवरपाल सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला

अलीगढ़ श्रीपाल सिंह

व्यवसाय: अन्य

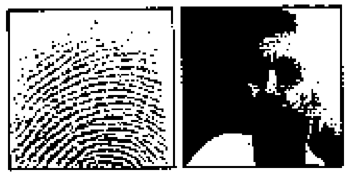

विक्रेता: 3

श्रीमती चन्दा, पत्नी श्री रिसाल सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला

अलीगढ़

व्यवसाय: गृहिणी

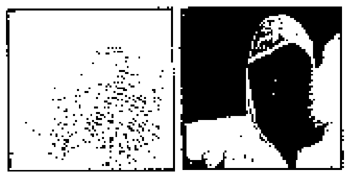

विक्रेता: 4

श्री गिरीश पाल सिंह, पुत्र श्री स्व० रिसाल सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोल जिला

अलीगढ़

व्यवसाय: अन्य

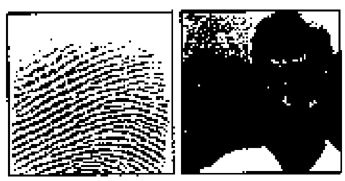

विक्रेता: 5

श्री रिषीपाल सिंह, पुत्र श्री स्व० रिसाल सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तहसील कोलिल

अलीगढ़ रिषीपाल

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 6

श्री सत्यपाल सिंह, पुत्र श्री स्व० रिसाल सिंह

निवासी: नगला देवी परगना व तह० कोल जिला

अलीगढ़ सत्यपाल सिंह

व्यवसाय: अन्य

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13 41AD 936196

15:– यह कि इस बिल्डर्स एग्रीमेन्ट की बाध्यता दोनो पक्षो व दोनो पक्षो के वारिसानो पर हर दशा में पालन योग्य रहेगी।

अतः उभय पक्षो ने अपनी स्वेच्छा से सोच समझ कर अपने मन बुद्धि की स्वस्थदशा में बिन किसी विवशता के यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट समक्ष गवाहान के लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 14 41AD 936197

सीमा उपरोक्त भूखण्ड जिसका मान चित्र व फोटो ग्राफ सलंग्न है:–उक्त प्लाट पर द्वितीय पक्ष को निर्माण कराने के लिये कब्जा वदखल प्रथम पक्ष ने दे दिया है–सीमा व नाप नक्शानुसार है।

पूरब:– सर्वोदयनगर

पश्चिम :– रास्ता 40फीट चौडा व आराजी प्रथम पक्ष गण

उत्तर:– मौहल्ला कुलदीप बिहार

दक्षिण:– आराजी प्रथम पक्ष गण

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 15 41AD 936198

फोटो प्रमाणित कर्ता गवाहो की शिनाख्त पर अबधेश सिंह चौहान कातिब तह0कोल अलीगढ।

गवाह

योगेश कुमार पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद नि० लाडपुर पो० रसौल जिला हाथरस 9105976000

गवाह संदीप यादव पुत्र श्री विक्रम सिंह नि० नगला ... तह० कोल जिला अलीगढ 9084784444

तहरीर तारीख 04.05.2018टंकण कर्ता– मुनेश चौहान
मजमून नवीस– अबधेश सिंह चौहान कातिब तह0कोल अलीगढ।

दस्तावेज लेखक–अवधेश सिंह चौहान
अनुज्ञाप्ति सं0–92 / 17
विधिमान्य 31.3.2021
तहसील कोल अलीगढ फोन

भूमि स्थिति - किशनपुर परगना व तहसील - कोल जिला - अलीगढ़
स्थित खेत नं० - 287/2, 300/2, 330, में से

प्रथम पक्ष - भूमिदार नं०-① श्री राम सिंह ② श्रीपाल सिंह पुत्रगण - श्री बनवारी लाल सिंह व ③ श्रीमती चन्द्रा पत्नी - श्री रिसाल सिंह व विजेन्द्र पाल सिंह व रविपाल सिंह व सत्यपाल सिंह पुत्रगण - स्व. श्री रिसाल सिंह व ④ श्रीमती चन्द्रवती उर्फ चन्दा पत्नी - श्री जयपाल सिंह व धीरज यादव व महेश यादव व जयपाल सिंह व पुष्पेन्द्र यादव पुत्रगण - स्व. श्री जयपाल सिंह व ⑤ श्रीमती शान्ती देवी पत्नी - श्री नाहर सिंह व कुलदीप सिंह व प्रदीप यादव व विदीप यादव पुत्रगण - श्री नाहर सिंह निवासी - ... परगना व तहसील - कोल जिला - अलीगढ़

द्वितीय पक्ष - मैसर्स ... इन्फ्राटेक प्रा. लि. कार्यालय 214 ... लोहिया ... रोड ... अलीगढ़ द्वारा ... सिंह पुत्र - श्री ... सिंह ... पोस्ट - ... जिला - हाथरस

क्षेत्रफल - 4657 वर्ग गज यानि 3894.05 वर्ग मी.